न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 710 / 2022

अनवान : —

1. हरपाल पुत्र रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

— **वादी**

बनाम्

1. सतपाल पुत्र रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. जीतो बाई पुत्री रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

—**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता, **वादी**
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता, **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 18/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं0 283 / 262 के ख0 न0 709 की 0.6830 हैक्टर भूमि ख0न0 710 की 2.0480 हैक्टयर, ख0न0 711 की 3.3260 हैक्टयर, ख0न0 712 की 3.8820 हैक्टयर, ख0न0 713 की 0.4550 हैक्टयर, ख0न0 793 / 2 की 1.2960 हैक्टयर, ख0न0 793 / 3 की 1.7520 हैक्टयर, ख0न0 809 की 0.4050 हैक्टयर, ख0न0 810 की 1.4420 हैक्टयर भूमि कुल 17.5910 हैक्टयर भूमि में से 1056 / 17591 हिस्सा एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 297 / 276 के ख0न0 851 की 16.6430 है0 भूमि, ख0न0 854 की 6.9050 है0 कुल 23.5480 हैक्टयर भूमि में से 1119 / 23548 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 284 / 260 के ख0न0 896 / 4 की 0.2280 हैक्टयर भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 150 / 134 के ख0न0 794 की 3.3640 हैक्टयर, ख0न0 795 की 4.5020 हैक्टयर, ख0न0 796 की 4.2490 हैक्टयर भूमि कुल 12.1150 हैक्टयर में से 1514 / 12115 हिस्सा एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 296 / 275 के ख0न0 373 की 7.1070 हैक्टयर में से 11761 / 71070 हिस्सा तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 757 / 285 के ख0न0 1185 / 896 की 0.6324 हैक्टयर भूमि का रोलुराम पुत्र नोतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नोताराम के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद [illegible] औलाद हुई वादी के पिता रोलुराम फौत हो चुका है एवं वादी की माता नीकी बाई [illegible] फौत [illegible] चुकी है। वादी रोलाराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 है तथा [illegible] भूमि में रोलाराम की जगह वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 विधिक उत्तराधिकारी है। [illegible] व प्रतिवादीगण [illegible] है तथा हिन्दू रीति—रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:06 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने वाद की समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी खाता स0 283/262 ईएक्सपी–1, खाता स0 297/276 ईएक्सपी–2, खाता स0 284/260 ईएक्सपी–3, खाता स0 150/134 ईएक्सपी–4, खाता स0 757/285 ईएक्सपी–5, खाता स0 296/275 ईएक्सपी–6 बहक रोलुराम, मृत्यु प्रमाण पत्र रोलूराम ईएक्सपी–7 आदि पेश किये। प्रतिवादी सं0 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने अर्जीदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं0 283/262 के ख0 न0 709 की 0.6830 हैक्टर भूमि ख0न0 710 की 2.0480 हैक्टयर, ख0न0 711 की 3.3260 हैक्टयर, ख0न0 712 की 3.8820 हैक्टयर, ख0न0 713 की 0.4550 हैक्टयर, ख0न0 793/2 की 1.2960 हैक्टयर, ख0न0 793/3 की 1.7520 हैक्टयर, ख0न0 809 की 0.4050 हैक्टयर, ख0न0 810 की 1.4420 हैक्टयर भूमि कुल 17.5910 हैक्टयर भूमि में से 1056/17591 हिस्सा एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 297/276 के ख0न0 851 की 16.6430 है0 भूमि, ख0न0 854 की 6.9050 है0 कुल 23.5480 हैक्टयर भूमि में से 1119/23548 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 284/260 के ख0न0 896/4 की 0.2280 हैक्टयर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 150/134 के ख0न0 794 की 3.3640 हैक्टयर, ख0न0 795 की 4.5020 हैक्टयर, ख0न0 796 की 4.2490 हैक्टयर भूमि कुल 12.1150 हैक्टयर में से 1514/12115 हिस्सा एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 296/275 के ख0न0 373 की 7.1070 हैक्टयर में से 11761/71070 हिस्सा तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 757/285 के ख0न0 1185/896 की 0.6324 हैक्टयर भूमि का रोलुराम पुत्र नोतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शाये गये [illegible] खानदान के अलावा मृतक रोलुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना [illegible] प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 [illegible] शून्य कर लिया है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 283/262 के ख0 न0 709 ता 13, 793/2, 793/3, 809 ता 810 की कुल 17.5910 हैक्टयर भूमि में से 1056/17591 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 297/276 के ख0 न0 851, 854 की कुल 23.5480 हैक्टयर भूमि में से 1119/23548 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 284/260 के ख0न0 896/4 की कुल 0.2280 हैक्टयर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 150/134 के ख0न0 794 ता 796 की कुल 12.1150 हैक्टयर भूमि में से 1514/12115 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 296/275 के ख0न0 373 की कुल 7.1070 हैक्टयर भूमि में से 11761/71070 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 757/285 के ख0न0 1185/896 की कुल 0.6324 हैक्टयर भूमि में मृतक रोलुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी हरपाल एवं प्रतिवादी स0 1 सतपाल एवं प्रतिवादी स0 2 शिशपाल को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद–विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 710/2022

अनवान : —

1. हरपाल पुत्र रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. सतपाल पुत्र रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. जीतो बाई पुत्री रोलुराम जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं वकील प्रतिवादी श्री चन्द्रशेखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 283/262 के ख0 न0 709 ता 13, 793/2, 793/3, 809 ता 810 की कुल 17.5910 हैक्टयर भूमि में से 1056/17591 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 297/276 के ख0 न0 851, 854 की कुल 23.5480 हैक्टयर भूमि में से 1119/23548 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 284/260 के ख0न0 896/4 की कुल 0.2280 हैक्टयर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 150/134 के ख0न0 794 ता 796 की कुल 12.1150 हैक्टयर भूमि में से 1514/12115 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 296/275 के ख0न0 373 की कुल 7.1070 हैक्टयर भूमि में से 11761/71070 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 757/285 के ख0न0 1185/896 की कुल 0.6324 हैक्टयर भूमि में मृतक रोलुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी हरपाल एवं प्रतिवादी स0 1 सतपाल एवं प्रतिवादी स0 2 शिशपाल को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद–विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:06 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर